कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री शीशराम, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लादूसर जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवाना जिला बाड़मेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री शीशराम द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 319/2021 शीशराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 319/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2021 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 15 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग होने एवं अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों एवं विकट शारीरिक दशाओं के आधार पर अपना पदस्थापन स्थान संशोधित करते हुए राउमावि कालाना ताल, राजगढ जिला चूरू/राउमावि भीमसर, सुजानगढ जिला चूरू/राउमावि बोबासर, सुजानगढ जिला चूरू अथवा राउमावि आबसर, सुजानगढ जिला चूरू में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो कि पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी किये गए हैं, में 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कार्मिकों को ही स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने का प्रावधान है जबकि अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में चाहे गए राउमावि कालाना ताल, चूरू/राउमावि बोबासर, चूरू व राउमावि आबसर चूरू में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है जबकि राउमावि भीमसर, सुजानगढ जिला चूरू राज्य फ्लैगशिप योजनान्तर्गत चयनित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से चयनित प्रधानाचार्य का पदस्थापन किया जाता है।

अपीलार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और विभागीय प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकता, राज्य अथवा विद्यार्थी हित में उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। उक्तानुसार अपीलार्थी श्री शीशराम द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। श्री शीशराम को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 की तत्काल पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/शीशराम/319/2021/172 **दिनांकः** 18.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर संभाग, चूरू/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/बाड़मेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक झुन्झुनूं/बाड़मेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री शीशराम, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, राउमावि सिवाना जिला बाड़मेर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)